Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारत और विश्व

(भाग–1)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSM07

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारत और विश्व
(भाग–1)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को “like” करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1.	अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ऐतिहासिक विकासक्रम और प्रमुख घटनाएँ	5-53
2.	विदेश नीति और संबद्ध मुद्दे	54-74
3.	भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध	75-97
4.	भारत-बांग्लादेश संबंध	98-119
5.	भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध	120-136
6.	भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध	137-169
7.	भारत-मालदीव संबंध	170-184
8.	भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध	185-213
9.	भारत-अफगानिस्तान संबंध	214-226
10.	भारत-पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया	227-284
11.	भारत की पूर्व की ओर देखो नीति	285-296

अध्याय
1

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ऐतिहासिक विकासक्रम और प्रमुख घटनाएँ
(Historical Chronology of Developments & Major Events of International Politics)

1.1 राष्ट्र-राज्यों का उदय
1.2 अंतर्राष्ट्रीय संधि व्यवस्था
1.3 यूरोपीय सम्मेलन अथवा कॉन्ग्रेस सिस्टम
1.4 बोल्शेविक क्रांति
1.5 अंतर-युद्ध काल (1919-39)
1.6 प्रथम विश्वयुद्ध
1.7 द्वितीय विश्वयुद्ध एवं शीतयुद्ध की उत्पत्ति
1.8 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा का प्रभाव
1.9 शीतयुद्ध
1.10 परमाणु बम : इसका प्रयोग एवं प्रभाव
1.11 पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव
1.12 ट्रूमैन सिद्धांत
1.13 मार्शल योजना
1.14 बर्लिन संरोध
1.15 चीनी क्रांति और चीन में साम्यवादी शासन
1.16 चीन–सोवियत संबंध
1.17 वियतनाम संकट
1.18 कोरिया संकट
1.19 नवीन स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में गुटनिरपेक्ष राज्यों की भूमिका
1.20 क्यूबा मिसाइल संकट
1.21 देतांत अथवा तनाव शैथिल्य
1.22 नवीन शीतयुद्ध
1.23 अफगानिस्तान संकट
1.24 देतांत द्वितीय
1.25 सोवियत संघ में संकट, तदनंतर विघटन और शीतयुद्ध का अंत
1.26 उत्तर-शीतयुद्ध काल
1.27 एकध्रुवीय विश्व का उदय
1.28 संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की दुर्बलता
1.29 राष्ट्र संघ
1.30 अंतर्राष्ट्रीय संबंध : महत्त्वपूर्ण शब्दावली

1.1 राष्ट्र-राज्यों का उदय *(Rise of Nation–States)*

विगत कुछ वर्षों में विश्व राजनीति के सामान्य धरातल पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर एक महत्त्वपूर्ण इकाई बने हुए हैं। समकालीन विश्व राजनीति में इस इकाई के मौलिक महत्त्व का यह अर्थ नहीं कि केवल यही एकमात्र मौलिक इकाई है। राज्य, बल्कि विशिष्ट रूप से, राष्ट्र-राज्य का खास महत्त्व है क्योंकि यह मानव इतिहास की वह अवस्था है जहाँ शक्ति केंद्रित है। राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को समझने के लिये आदर्श रूप में 'राष्ट्र' एवं 'राज्य' दोनों के मध्य मूल भेद को जानना ज़रूरी है। 'राष्ट्र' शब्द जिसका प्रयोग बहुधा 'राज्य' के स्थान पर भी कर लिया जाता है, एक ऐसा शब्द है जिसके सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। इसका संबंध जनता के उस समूह से होता है जो एकात्मता एवं आपसी मूल्यों की भावना से संगठित होते हैं। इसे राजनीति विशेषज्ञ 'कल्पित समुदाय' (Imagined Community) की संज्ञा देते हैं। यह समूह कुछ सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होता है, जैसे-समान इतिहास, समान भाषा, समान धर्म, समान सजातीयता एवं समान प्रथाएँ आदि। दूसरी ओर, 'राज्य' शब्द का संबंध राजनीतिक विचार और कानूनी सत्ता दोनों से होता है तथापि, संयुक्त रूप से 'राष्ट्र-राज्य' शब्द का संबंध 'राष्ट्र' के रूप में एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई से होता है जिसकी सीमाएँ 'राज्य' की राजनीतिक-कानूनी सीमाओं के समान होती हैं। निकोलो मैकियावेली (Niccolo Machiavelli) संभवत: ऐसे पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अपनी कृति 'द प्रिंस' (The Prince) में आधुनिक राज्य के राजनीतिक सार का वर्णन किया था। वास्तव में, यह पुस्तक तत्कालीन इटली के शासकों के लिये एक परामर्श पुस्तिका की भाँति थी जिसमें सुझाया गया था कि किस प्रकार राज्य की स्थापना एवं उसका संचालन किया जाए। कालांतर में राज्य विद्वेषपूर्ण विश्व में

- **संरचनात्मक हिंसा (Structural Violence):** कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो गरीबी, भूख, उत्पीड़न एवं संघर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक स्रोत का संकेत करता है।
- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद (State Sponsored Terrorism):** राज्यों द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आतंकवादी समूहों का सहारा लेना। सामान्यतया राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों के नियंत्रण में आतंकवादी समूह कार्य करते हैं।
- **युद्ध अपराध (War Crimes):** युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार करने या नागरिकों को ज़रूरत से ज़्यादा लक्षित करने जैसे युद्ध नियमों का उल्लंघन करना।
- **अंधराष्ट्रीयता (Chauvinism):** किसी वजह या समूह के प्रति समालोचना एवं तर्क रहित समर्पण जो ज़्यादातर इसकी सर्वोच्चता में विश्वास के कारण होता है, जैसे- राष्ट्रीय अंधभक्ति।
- **हर्जाना (Reparation):** ऐसी क्षतिपूर्ति जिसमें वित्तीय भुगतान या वस्तुओं की प्राप्ति शामिल हो सकती है। इस तरह का ज़्यादातर हर्जाना विजयी देशों द्वारा हारे हुए देशों पर दंडस्वरूप लगाया जाता है।
- **तुष्टीकरण (Appeasement):** विदेश नीति का एक उपाय जिसके अंतर्गत एक आक्रामक राज्य को इसके राजनीतिक उद्देश्यों में बदलाव लाने और विशेषकर युद्ध को टालने के उद्देश्य से कई तरह की छूट दी जाती हैं।
- **प्राकृतिक राज्य (State of Nature):** ऐसा समाज जहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता न हो या व्यक्ति पर कोई औपचारिक (कानूनी) नियंत्रण न हो।
- **जेनोफोबिया (Xenophobia):** अन्य समूहों विशेषकर विदेशियों का भय होना।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (Cultural Imperialism):** वैश्विक संस्कृति के रूप में अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व की आलोचना स्वरूप उपयोग किया जाने वाला शब्द।
- **लोकतांत्रिक शांति (Democratic Peace):** व्यावहारिक साक्ष्यों से समर्थित एक मान्यता कि लोकतांत्रिक देश एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करते यद्यपि वे सत्तावादी शासन (Authoritarian Rule) के खिलाफ युद्ध करते हैं।
- **निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory):** मार्क्सवाद की ओर उन्मुख एक सिद्धांत जो यह बताता है कि देश के अंदर का पूंजीपति वर्ग एवं विदेशी पूंजी के बीच साँठगाँठ होने के कारण तृतीय विश्व के देशों में पूंजी का अभाव बना रहता है।
- **विकास सहायता समिति (Development Assistance Committee):** पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा जापान की सदस्यता से बनी समिति जो दक्षिण या तीसरे विश्व के देशों को 95 प्रतिशत आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance) उपलब्ध कराती है।
- **राजनयिक उन्मुक्ति (Diplomatic Immunity):** इसका तात्पर्य राजनयिक गतिविधियों को मेज़बान देश (Host Country) के राष्ट्रीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने से है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. 'उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।' विस्तार से समझाइये। **UPSC (Mains) 2019**
2. राष्ट्र-राज्य के उदय में वेस्टफेलिया की संधि महत्त्वपूर्ण रही है। समझाइये।
3. शीतयुद्ध क्या है? द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव को सूचीबद्ध कीजिये।
4. ट्रूमेन सिद्धांत एवं मार्शल योजना क्या थी? दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिये।
5. क्यूबा मिसाइल संकट विश्व को तृतीय विश्वयुद्ध के मुहाने पर ला दिया था। समझाइये।
6. सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति के स्वरूप में मूलभूत बदलाव किया। क्या आप इससे सहमत हैं? स्पष्ट कीजिये।
7. एकध्रुवीय विश्वव्यवस्था क्या है? विश्व-राजनीति पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिये।

अध्याय 2

विदेश नीति और संबद्ध मुद्दे (Foreign Policy & Associated Issues)

2.1 कूटनीति
2.2 कूटनीति के प्रकार
2.3 विदेश नीति : अर्थ एवं कार्य-क्षेत्र
2.4 विदेश नीति का महत्त्व
2.5 भारत की विदेश नीति
2.6 भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत
2.7 भारतीय विदेश नीति के भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक कारक
2.8 भारतीय विदेश नीति से संबद्ध महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ
2.9 भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्ति
2.10 विदेश नीति में नवीन परिवर्तन

2.1 कूटनीति *(Diplomacy)*

किसी राष्ट्र की विदेश नीति को व्यावहारिक बनाने वाली नीति ही वस्तुत: कूटनीति कहलाती है, अर्थात् कूटनीति वह राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें संवादों के माध्यम से दो राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संबंधों की स्थापना एवं उन्हें मधुर बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

कूटनीति का सारतत्त्व वस्तुत: यथार्थवाद एवं आदर्शवाद के मध्य समन्वय स्थापित करना है। स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र द्वारा संधियों, समझौतों अथवा गठजोड़ों को सफल बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किये गए प्रयत्न भी कूटनीति के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं।

कूटनीति के उद्देश्य *(Objectives of Diplomacy)*

1. विभिन्न राष्ट्र-राज्यों की विदेश नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न इस रूप में करना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की स्थापना हो सके।
2. अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित करने का प्रयत्न।
3. विभिन्न राष्ट्र-राज्यों के पारस्परिक हितों की रक्षा तथा उनमें सहयोग व समन्वय के आयामों में अभिवृद्धि करना।
4. कूटनीति के अंतर्गत अब सैन्य संदर्भ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अत: इसका एक प्रमुख उद्देश्य अब क्षेत्रीय और वैश्विक सैन्य संतुलन की स्थापना भी माना जाता है।
5. राजनीतिक उद्देश्य के अंतर्गत कूटनीति का मुख्य लक्ष्य अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कर दूसरे राज्यों पर अपनी मांगें थोपना, उनसे रियायतें प्राप्त करना और समझौता-वार्ता के दौरान अपनी मनमानी शर्तें थोपना होता है।
6. कूटनीति के मुख्य गैर-राजनीतिक उद्देश्यों में राष्ट्रों के आर्थिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति करना होता है।

कूटनीति बनाम राजनीति

राजनीति सत्ता प्राप्ति का एक उपकरण है, जबकि कूटनीति राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ राजनीति राष्ट्र की संप्रभुता के संरक्षण को लक्षित करती है, वहीं कूटनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया जाता है।

कूटनीति के अभिकर्त्ता *(Actors of Diplomacy)*

कूटनीति की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने का प्रमुख उपकरण है और जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति अथवा स्वरूप में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे कूटनीति के अभिकर्त्ता भी बदलते चले जाते हैं। सोवियत संघ के विघटन ने विश्व को दो ध्रुवीय व्यवस्था से एकध्रुवीय व्यवस्था में बदल दिया और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कूटनीति की प्रकृति और स्वरूप पर पड़ा। इसी प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया, पारिस्थितिकीय मुद्दों का प्रमुख

अध्याय 3

भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध (Indo-Nepal Bilateral Relations)

3.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक परिदृश्य
3.2 नेपाल में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियाँ एवं सुरक्षा चिंताएँ
3.3 भारत में नवगठित सरकार व नेपाल के बीच संबंध
3.4 भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा
3.5 द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु
3.6 साझा चुनौतियाँ एवं भारतीय सरोकार
3.7 भारत के लिये नेपाल का रणनीतिक महत्त्व
3.8 नेपाल के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति हेतु सुझाव
3.9 नेपाल में संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत भारत की आपत्तियाँ
3.10 नेपाल का नया संविधान एवं उसके प्रावधान
3.11 नेपाल का नया क्रिमिनल कोड
3.12 नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
3.13 संयुक्त सैन्याभास 'सूर्य किरण'
3.14 कोसी-गंडक संयुक्त परियोजना पर भारत-नेपाल बैठक
3.15 नेपाल-चीन संबंधों में घनिष्ठता

3.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक परिदृश्य *(Historical Perspective of Bilateral Relations)*

नेपाल एक स्थलारुद्ध (Land locked) अथवा चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है। यह हिमालय के दक्षिण की ओर अवस्थित है। चीन और भारत दोनों बड़े एशियाई देशों के साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत से, उत्तर में तिब्बत प्रांत (चीन) से घिरे नेपाल को भारत और चीन के बीच एक मध्यवर्ती राज्य (Buffer State) माना जाता है। नेपाल का क्षेत्रफल 56,827 वर्ग मील और जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है।

नेपाल में भारत की रुचि धार्मिक, ऐतिहासिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक कारणों से स्वाभाविक थी। ब्रिटिश सेना के लिये नेपाल में गोरखा जवानों की भर्ती सन् 1947 तक जारी रही। चीन में सन् 1949 में साम्यवादी क्रांति की सफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि वह तिब्बत पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा जिससे चीन नेपाल की सीमा को स्पर्श करने लगेगा। चीन में साम्यवादियों के सत्ता में आ जाने के फलस्वरूप अमेरिका नेपाल के मामलों में दिलचस्पी लेने लगा। उत्तर में भारत की सुरक्षा नेपाल की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। इस बीच नेपाल में एक संविधान निर्माण की मांग उठाई जाने लगी थी।

नेपाल में जिस संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, वह राणा परिवार के निहित स्वार्थों के विरुद्ध था, इसलिये उन्होंने इसे लागू नहीं होने दिया। नेपाली कॉन्ग्रेस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम कराने के लिये आंदोलन चला रही थी। भारत की कॉन्ग्रेस पार्टी की स्वाभाविक सहानुभूति नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ थी। भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित मैत्री संधि पर सन् 1949 तक हस्ताक्षर नहीं हो सके, क्योंकि राणाओं ने भारत द्वारा सुझाई गई नेपाली सरकार की लोकतांत्रिक संरचना का विरोध किया था।

(i) भारत-नेपाल संबंध (1947-62) *[Indo-Nepal Relations (1947-62)]*

ब्रिटिश काल के दौरान यद्यपि नेपाल औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश था तथापि नेपाल की राजनीति में ब्रिटिश शासकों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था। स्वतंत्र भारत की सरकार साम्राज्यवादी न होते हुए भी सामरिक महत्त्व के कारण नेपाल की अनदेखी नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त साम्यवादी चीन का तिब्बत में प्रभाव बढ़ जाने से यह स्पष्ट हो गया था कि यह साम्यवादी राष्ट्र तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लेगा और इस प्रकार नेपाल एवं चीन की सीमाएँ मिल जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी कारण नेपाल की राजनीति में रुचि लेने लगा। इस प्रकार नेपाल में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नेपाल शीतयुद्ध का क्षेत्र बन जाएगा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी स्थिति में नेपाल की राजनीति से अलग नहीं रह सकती थी। अतएव शुरुआत से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की नीति अपनाई।

अध्याय
4

भारत-बांग्लादेश संबंध
(Indo-Bangladesh Relation)

4.1 संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
4.2 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक विकास क्रम
4.3 भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के कारण
4.4 भारत-बांग्लादेश गंगा जल समझौता
4.5 भारत-बांग्लादेश सीमा
4.6 भारत-बांग्लादेश संबंधों की हालिया स्थिति
4.7 भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा
4.8 भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता
4.9 भारत-बांग्लादेश रेल सहयोग
4.10 आर्थिक गलियारा
4.11 भारत-बांग्लादेश सामुद्रिक जहाज़रानी समझौता
4.12 भारत-बांग्लादेश तटीय नौपरिवहन समझौता
4.13 भारत-बांग्लादेश के मध्य क्रूज सेवा
4.14 भारत-बांग्लादेश के मध्य सहयोग के अन्य क्षेत्र
4.15 भारत-बांग्लादेश-रूस : परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण सहयोग
4.16 अल्पसंख्यक शरणार्थी
4.17 संप्रीति सैन्य अभ्यास VIII, 2019
4.18 कोलकाता-ढाका-अगरतला माल परिवहन परियोजना
4.19 शेख हसीना की भारत यात्रा और प्रमुख समझौते
4.20 बांग्लादेश में शरणार्थी समस्या

4.1 संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
(General Background of Relation)

बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4,096 किमी. के आस-पास है जो भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ की सीमाओं में सबसे लंबी है। बांग्लादेश का जन्म दिसंबर 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय का परिणाम था।

दिसंबर 1971 का युद्ध पाकिस्तान के आतंकपूर्ण शासन के विरुद्ध बांग्लादेशी विद्रोह की चरमसीमा था। 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। तेरह दिन के भारत-पाक युद्ध में लगभग 20,000 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए। जहाँ एक ओर बांग्लादेश की जनता के लिये यह आतंकवाद और यातना का अंत और देश के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा थी, वहीं दूसरी ओर भारत के लिये यह लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विजय थी।

भारत को मार्च और दिसंबर 1971 के बीच की अवधि में एक विचित्र स्थिति का सामना उस समय करना पड़ा जब लगभग एक करोड़ यातना-पीड़ित बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ गए। भारत सरकार द्वारा इन्हें वापस भेजने के लिये किये गए समस्त प्रयास असफल रहे। वैसे इन प्रयासों का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करना भी था। पाकिस्तान के सैनिक राष्ट्रपति याह्या खाँ ने युद्ध का मार्ग चुना और सोचा कि विजय उनकी ही होगी। वास्तव में हुआ इसके विपरीत। विजय भारत की हुई और याह्या खाँ को पद त्यागना पड़ा तथा ज़ुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता सौंपनी पड़ी। इस प्रकार स्वतंत्र बांग्लादेश के जन्म के साथ ही शेष पाकिस्तान की सत्ता भुट्टो के हाथ में आ गई।

4.2 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक विकास क्रम
(Historical Development of Bilateral Relations)

भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दिये जाने के तुरंत बाद भारत-बांग्लादेश के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये गए। उस समय पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के युवकों द्वारा गठित मुक्तिवाहिनी सेना युद्ध कर रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नज़रुल इस्लाम द्वारा हस्ताक्षरित संधि में यह व्यवस्था की गई कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करवाने के लिये संयुक्त रूप से भारत-मुक्तिवाहिनी कमान स्थापित की जाएगी जो एक भारतीय

अध्याय

5

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध (India-Sri Lanka Bilateral Relation)

5.1 द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि
5.2 श्रीलंका की नृजातीय समस्या
5.3 नेहरू-कोतलेवाला समझौता, 1954
5.4 शास्त्री-सिरिमावो समझौता, 1964
5.5 जातीय-संघर्ष का विस्तार
5.6 राजीव-जयवर्द्धने समझौता, 1987
5.7 श्रीलंका में भारतीय शांति सेना
5.8 द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बिंदु
5.9 भारत-श्रीलंका वाणिज्यिक संबंध
5.10 भारत-श्रीलंका शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध
5.11 भारत-श्रीलंका फाउंडेशन
5.12 भारत-श्रीलंका संबंधों की वर्तमान अवस्था
5.13 भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा
5.14 श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
5.15 श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
5.16 भारत-श्रीलंका संबंधों के बीच चीनी कारक
5.17 भारत-श्रीलंका रणनीतिक सहयोग
5.18 अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस के अवसर पर मोदी की श्रीलंका यात्रा
5.19 रणनीतिक सहयोग की हालिया गतिविधियाँ

5.1 द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य पृष्ठभूमि *(General Background on Bilateral Relations)*

श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 25,332 वर्गमील है। इसकी जनसंख्या लगभग एक करोड़ सत्तर लाख है, जिसमें 70 प्रतिशत बौद्ध, 15 प्रतिशत हिंदू, 7.5 प्रतिशत ईसाई व 7.5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इनमें 15 प्रतिशत लोग तमिल जबकि शेष सिंहली भाषा बोलते हैं। श्रीलंका चारों ओर से सागर से घिरा हुआ एक गणराज्य है। यह हिंद महासागर में स्थित है।

श्रीलंका 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही पुर्तगाली उपनिवेशवाद के अधीन आ गया। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में अपनी बस्तियाँ बसाईं, परंतु यहाँ सबसे पहले 543 ई.पू. के आस-पास भारत में गंगा घाटी के लोग आकर बसे थे और अभी भी जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग उन्हीं के वंशज हैं। वर्ष 1656 में डच लोगों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को छीन लिया। डचों को हराकर अंग्रेज़ों ने वर्ष 1796 में श्रीलंका पर अधिकार कर लिया और वह वर्ष 1802 में एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 4 फरवरी, 1948 को श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना।

भारत की तरह श्रीलंका ने भी राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) की सदस्यता ग्रहण की। उसने भी ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध-विच्छेद करके स्वयं को गणतंत्र घोषित किया। भारत की भाँति श्रीलंका भी गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियों में विश्वास करता है। छः अन्य देशों के साथ श्रीलंका भी दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का संस्थापक सदस्य है। भारत की ही भाँति श्रीलंका की भी संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति में पूरी आस्था है। इस प्रकार भारत और उसके इस दक्षिणी पड़ोसी में इतनी समानताएँ हैं कि यह सोचना भी कठिन है कि दोनों में कभी कोई संघर्ष भी हो सकता है, परंतु संघर्ष तो किन्हीं भी दो देशों के संबंधों में उत्पन्न हो सकते हैं। प्रयास यह होना चाहिये कि गंभीर विवादों से बचा जाए।

भारत और श्रीलंका के पारस्परिक संबंध सामान्यतया मित्रतापूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं। फिर भी, कभी-कभी जातीय तनाव पैदा होते रहे हैं। तनाव प्रायः सिंहली तथा तमिल लोगों के मध्य उत्पन्न हुए हैं। प्रायः छोटे देशों को अपने बड़े पड़ोसी राष्ट्रों की ओर से शंका बनी रहती है, परंतु भारत ने कभी भी एक प्रभुत्वशाली बड़े पड़ोसी की भूमिका निभाने का प्रयास नहीं किया है। जातीय संघर्ष के रहते भी भारत ने कभी भी अपनी इच्छा श्रीलंका से पूरी कराने का प्रयास नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीलंका और भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं लेकिन अमैत्रीपूर्ण नहीं हैं। दक्षिण एशिया के छोटे देश

अध्याय **6**

भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध (Indo-Pak Bilateral Relations)

6.1 भारत का विभाजन और उससे उत्पन्न समस्याएँ
6.2 भारत-पाक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
6.3 भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु
6.4 भारत-पाक वार्ताओं की वर्तमान स्थिति
6.5 भारत-पाक वार्ता की नई संभावना
6.6 भारत-पाक सीमा शांति वार्ता
6.7 भारत-पाक संबंधों में चीन की भूमिका
6.8 विभिन्न तनावपूर्ण मुद्दे/घटनाओं के संदर्भ में पाकिस्तान को भारत का जवाब
6.9 कुलभूषण जाधव मुद्दा
6.10 कश्मीर में हिंसा का नया दौर
6.11 करतापुर साहिब गलियारा
6.12 शारदा पीठ कॉरिडोर
6.13 गिलगित-बाल्टिस्तान का मुद्दा

6.1 भारत का विभाजन और उससे उत्पन्न समस्याएँ *(Partition of India and Associated Problems)*

भारतीय उपमहाद्वीप में अगस्त 1947 में दो स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के अनुसार इनका गठन भारत एवं पाकिस्तान के रूप में हुआ। पाकिस्तान का गठन धार्मिक आधार पर किया गया था क्योंकि मुस्लिम लीग का यह दावा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। अत: उन्हें दो अलग राज्यों में ही संगठित होना चाहिये। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस धर्मनिरपेक्षता (Secularism) में विश्वास करती थी और समूचे भारत को एक रखना चाहती थी। स्वतंत्रता से कुछ ही समय पूर्व अविभाजित भारत के कई भागों में हिंसा भड़क उठी थी। उस समय केवल दो ही विकल्प थे- या तो देश को हिंसा में झुलसते रहने दिया जाए या फिर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। अतएव कॉन्ग्रेस देश को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिये देश के विभाजन पर राजी हो गई।

परिणामत: अंग्रेज़ों ने देश को केवल दो स्वतंत्र देशों में विभाजित ही नहीं किया बल्कि 500 से अधिक देसी रियासतों (Princely States) पर से अपना सर्वोच्च अधिकार (Paramountacy) भी खत्म कर दिया। साथ ही, उनके शासकों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी अपनी रियासत का विलय कर लें। कुछ शासकों ने इसका एक गलत अर्थ यह निकालना शुरू कर दिया कि वे चाहें तो बिना भारत या पाकिस्तान में विलय किये भी पूरी तरह स्वतंत्र रह सकते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों के भविष्य का प्रश्न एक गंभीर समस्या बन गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने समझा-बुझाकर लगभग 562 देशी रियासतों का भारत में विलय करवा लिया। केवल पाँच रियासतों ने पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय लिया। विलय के प्रश्न पर 1948 के आरंभ में जनमत-संग्रह द्वारा भारी बहुमत से जूनागढ़ और हैदराबाद के लोगों ने भारत में विलय का समर्थन कर दिया।

हैदराबाद की स्थिति में निज़ाम पहले हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाने और बाद में पाकिस्तान में विलय करने का संकेत देने लगा।

सितंबर 1948 में गृह मंत्री सरदार पटेल के सीधे नियंत्रण में 'ऑपरेशन पोलो (Operation Polo)' के नाम से सैन्य कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने चौबीस घंटे में स्थिति पर काबू पा लिया परंतु पूरे राज्य को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने में पाँच दिन का समय लग गया। इसके बाद निज़ाम ने हैदराबाद का भारत में विलय की प्रार्थना की जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हैदराबाद भारत का अंग बन गया। पाकिस्तान ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का असफल प्रयास किया।

भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापितों या शरणार्थियों (Refugees) की समस्या का सीधा संबंध दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के प्रश्न से जुड़ा हुआ था।

अध्याय
7

भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relation)

7.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ
7.2 मालदीव का रणनीतिक महत्त्व
7.3 भारत-मालदीव सुरक्षा संबंध
7.4 भारत-मालदीव आर्थिक संबंध
7.5 भारत-मालदीव सांस्कृतिक संबंध
7.6 भारत-मालदीव संबंधों की हालिया स्थिति
7.7 भारत-मालदीव के बीच तनाव के कुछ बिंदु
7.8 जीएमआर मुद्दा एवं भारत-मालदीव संबंध
7.9 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
7.10 भारत के विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा
7.11 भारत-मालदीव संबंधों में चीन की भूमिका
7.12 हालिया संदर्भ में मालदीव में भारतीय रणनीति
7.13 भारत-मालदीव स्वास्थ्य समझौता
7.14 भारत-मालदीव वीजा सुविधा समझौता
7.15 भारत-मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास
7.16 भारत-मालदीव सहयोग बढ़ाने पर सहमत
7.17 रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भारत-मालदीव सहयोग
7.18 मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: 6 समझौते हुए
7.19 मालदीव एवं राष्ट्रमंडल
7.20 दक्षेस उपग्रह

7.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ *(Historical Perspective of Bilateral Relations)*

मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित कई द्वीपों का समूह है। समुद्र से घिरे इस देश की प्राकृतिक छटा अत्यंत निराली है। इसका क्षेत्रफल केवल 298 वर्ग किमी. है। आबादी अनुमानतः साढ़े तीन लाख से कम ही है। इसकी राजधानी माले है। दिवेही (Divehi) यहाँ की प्रमुख भाषा है। मुद्रा के रूप में मालदीवियन रूफिया (Rufiyaa) का प्रचलन है। भौगोलिक दृष्टि से इसके उत्तर में भारत का लक्षद्वीप है और पूर्व में श्रीलंका। भारत-मालदीव में राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1965 में ही हो गई थी और इसी वर्ष मालदीव स्वतंत्र भी हुआ था।

मालदीव की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा एवं धरोहर भारत से मेल खाती है। वहाँ की परंपरागत वेश-भूषा, खान-पान की आदतें और फिल्मों आदि पर भारतीयता का प्रभाव है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सांस्कृतिक एकता को दोनों देशों ने महसूस किया है। आर्थिक हो या सैन्य, सभी मोर्चों पर भारत ने मालदीव को सहयोग किया है। जब भी जलदस्यु और आतंकवादियों ने इस देश पर अत्याचार किया तो सहायता की मांग होते ही भारतीय सेना ने तत्काल इसकी मदद तथा रक्षा की है।

भारत इस सबसे छोटे पड़ोसी देश की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि तिरुवनंतपुरम से लगभग 550 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित मालदीव हिंद महासागर का राजनीतिक-रणनीतिक प्रवेश द्वार है। भारत ने वर्षों से मालदीव पर निगाह रखी है और इसके विकास के लिये उदार दिल से वित्तीय सहायता दी है, यहाँ तक कि वर्ष 1998 में श्रीलंकाई बागियों का विद्रोह कुचलने के लिये भारत ने वहाँ सशस्त्र सेनाएँ भी भेजीं। कुछ समय से चीन ने भी मालदीव पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। वह वहाँ पूंजी निवेश कर रहा है। इसके जवाब में भारत ने मालदीव की विकास सहायता बढ़ा दी है।

7.2 मालदीव का रणनीतिक महत्त्व *(Strategic Importance of Maldives)*

- मालदीव की भू-रणनीतिक अवस्थिति समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवादी आक्रमणों को नियंत्रित करने और समुद्री डाकुओं से निपटने में भारत की व्यापक रूप से सहायता कर सकती है। अरबों डॉलर मूल्य का खनिज एवं ऊर्जा व्यापार मालदीव के निकट से होकर गुज़रता है।

अध्याय 8

भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध (India-China Bilateral Relations)

8.1 भारत-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
8.2 भारत-चीन संबंधों में पंचशील की भूमिका
8.3 भारत-चीन रक्षा संबंध
8.4 भारत-चीन सांस्कृतिक संबंध
8.5 चीन में भारतीय समुदाय
8.6 भारत-चीन संबंधों में तनाव के परंपरागत बिंदु
8.7 चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति
8.8 भारत-चीन संबंधों की हालिया अवस्था
8.9 भारत-चीन संबंध: विश्लेषण
8.10 चीन की सिल्क रूट परियोजना
8.11 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
8.12 नाभिकीय आपूर्तिकर्त्ता समूह
8.13 मसूद अज़हर का मुद्दा
8.14 दलाई लामा का अरुणाचल दौरा
8.15 डोकलाम मुद्दा
8.16 वुहान शिखर-सम्मेलन में भारत और चीन
8.17 चीन-भारत डिजिटल सहयोग प्लाजा
8.18 बेल्ट रोड़ इनिशिएटीव
8.19 तिब्बती विद्रोह के 60 साल

8.1 भारत-चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background of India-China Relations)*

(i) स्वाधीनता से लेकर 1962 के युद्ध तक की अवधि *(Period from independence to 1962 war)*

सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह आशा की जा रही थी कि भारत और चीन के संबंध इतने घनिष्ठ व सुदृढ़ होंगे कि ये दोनों देशों के लिये लाभप्रद स्थितियाँ उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और साम्राज्यवाद के विरुद्ध दोनों के समान हितों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों देशों के बीच अंतरंगता की दुहाई भी दी जाती रही। यह भी स्पष्ट था कि दोनों राष्ट्र आर्थिक अभाव से ग्रस्त विकास की जटिल चुनौतियों से जूझने को विवश थे। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएँ तलाशी जा सकती थीं। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय संबंधों में किसी तनाव या गतिरोध के बड़े आधारों को चिह्नित करना मुश्किल था।

दोनों के पारस्परिक संबंधों के पीछे कई कारण निहित थे। उदाहरणार्थ- भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब चीन में भयंकर गृहयुद्ध (Civil War) चल रहा था। साम्यवादी उस गृहयुद्ध में विजय की ओर अग्रसर थे तथा दूसरी ओर भारत में भी अनेक समस्याएँ थीं जो देश के विभाजन से उत्पन्न हुई थीं। शुरुआती दौर की बात की जाए तो भारत-चीन संबंध केवल औपचारिक स्तर पर थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत-चीन संबंध ज़रूर दृष्टिगत होते थे अन्यथा दोनों देशों के बीच कोई ठोस संबंध नहीं था। चीन की क्रांति (Chinese Revolution) के पश्चात् इस स्थिति में परिवर्तन आया और दोनों देशों में शीघ्रता से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होने लगे।

एक अक्टूबर, 1949 को साम्यवादी चीन की विधिवत् स्थापना हुई। जिन देशों ने क्रांति के पश्चात् साम्यवादी चीन को मान्यता दी, उनमें भारत भी सम्मिलित था। भारत ने 30 दिसंबर, 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व का पूरा समर्थन किया। परिणामत: अमेरिका तथा अन्य गैर-साम्यवादी देश अप्रसन्न ज़रूर हुए परंतु भारत की यह नीति उसकी विदेश नीति के ठोस सिद्धांतों पर आधारित थी।

जिस सरकार को चीन के विशाल जनसमुदाय ने हृदय से स्वीकार किया, उसको मान्यता देना और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता का समर्थन करना, भारत का स्वाभाविक और नैतिक कदम था। सन् 1950 में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने के लिये दोषी ठहराया गया था तब अमेरिका ने भारत की सराहना की थी। दूसरी ओर इससे साम्यवादी जगत को

अध्याय 9

भारत-अफगानिस्तान संबंध (India-Afghanistan Relations)

9.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ
9.2 भारतीय विदेश नीति के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
9.3 अफगानिस्तान का भारत के लिये महत्त्व
9.4 भारत-अफगानिस्तान संबंधों का हालिया परिदृश्य
9.5 अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
9.6 अफगानिस्तान का भविष्य और भारत
9.7 प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान यात्रा
9.8 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन
9.9 वीज़ा मुक्त राजनयिक आवाजाही समझौता
9.10 चाबहार बंदरगाह: भारत-अफगानिस्तान -ईरान के बीच त्रिपक्षीय बैठक
9.11 अफगानिस्तान पर छ: राष्ट्रों की वार्ता
9.12 काबुल शांति प्रक्रिया
9.13 हवाई माल कॉरिडोर सेवा

9.1 द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ *(Historical Perspective of Bilateral Relations)*

प्राचीन काल से ही भारत के अफगानिस्तान के साथ आर्थिक-सांस्कृतिक संबंध रहे हैं परन्तु 1996 से 2001 के बीच तालिबान शासन के दौरान संबंधों में शिथिलता विद्यमान रही। नेपाल से IC-814 विमान का अपहरण और इसके पश्चात् कुछ कुख्यात आतंकवादियों को छुड़वाने की तालिबान शासन की मांग इसका ज्वलंत उदाहरण है। तालिबान शासन की समाप्ति के बाद भारत ने अफगानिस्तान से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना शुरू किया। अफगानिस्तान की सीमाएँ उत्तर में तेल एवं खनिज में समृद्ध मध्य एशियाई गणराज्यों तथा पूर्व में पाकिस्तान के साथ, पश्चिम में ईरान के साथ, उत्तर-पूर्व में चीन के साथ लगती हैं। अफगानिस्तान का महत्त्व भारत के लिये आर्थिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से है। 2001 में अफगानिस्तान से तालिबान शासन की समाप्ति के उपरांत भारत ने अफगानिस्तान को कई तरह की मदद दी है जिनमें बस एवं विमान की आपूर्ति तथा पुलिस, सेना और नौकरशाही आदि को प्रशिक्षण देना शामिल हैं। इनके अतिरिक्त भारत ने वहाँ स्कूल, अस्पताल और संचार नेटवर्क स्थापित करने में मदद की है।

अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की विदेश नीति कई कारकों से निर्धारित होती है जिसमें इस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना सबसे प्रमुख है। भारत मध्य-एशियाई गणराज्यों के तेल भण्डारों व बाज़ारों तक पहुँचने के लिये अफगानिस्तान को एक मुख्य व्यावसायिक मार्ग के रूप में देखता है। इस्लामाबाद और तालिबान के बीच संबंधों ने भारत को अत्यधिक परेशान किया है। तालिबान शासन ने कश्मीर में भारत-विरोधी अलगाववादी तत्त्वों को समर्थन प्रदान किया था।

भारत-अफगानिस्तान के संबंध 2005 में उच्च स्तर पर पहुँच गए। उसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने क्रमश: एक-दूसरे के देश की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच नियमित तौर से राजनीतिक आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिये एक प्रभुत्वसंपन्न, स्थिर, लोकतांत्रिक व समृद्ध अफगानिस्तान आवश्यक है। उन्होंने आतंकवाद को लोकतंत्र के लिये खतरा बताया तथा यह घोषणा की कि ऐसे देशों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो आतंकवाद को शरण एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण (Reconstruction) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट की।

भारत ने अफगानिस्तान सरकार एवं वहाँ की जनता का इस बात के लिये आभार व्यक्त किया कि वे वहाँ पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतंत्र एवं शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

अफगानी सेना एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये भारतीय संस्थाओं के प्रयोग करने संबंधी हामिद करजई के विचार का भारत ने स्वागत किया। मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये भारत ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्ति हेतु अफगानी छात्रों के लिये 500 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। शिक्षा का क्षेत्र दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग का उदाहरण है। युद्ध में क्षतिग्रस्त 102 वर्ष पुराने हबीबिया स्कूल के पुनर्निर्माण में भारत ने भागीदारी की है।

अध्याय 10

भारत-पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया (India–West Asia and Central Asia)

10.1 पृष्ठभूमि
10.2 भारत और पश्चिम एशिया एक-दूसरे के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?
10.3 भारत और पश्चिम एशिया संबंध की दिशा
10.4 पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध: नीति, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ
10.5 पश्चिमी एशिया संघर्ष व भारत की नीति
10.6 पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन यूनिट
10.7 पेशमर्गा
10.8 इस्लामिक स्टेट
10.9 भारत और संयुक्त अरब अमीरात
10.10 भारत और सऊदी अरब
10.11 भारत और इज़राइल
10.12 भारत और ईरान
10.13 भारत और ओमान
10.14 भारत और कुवैत
10.15 भारत और मध्य एशिया

10.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

पश्चिम एशिया अथवा मध्य-पूर्व को प्राय: भू-राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखा गया है, जिससे पिछले कुछ दशकों में चरमपंथ और आतंकवाद इस कदर जुड़ गया कि अब इसे एक अशांत और हिंसक क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, यह अशांति सामान्य तौर पर तो वाशिंगटन की जटिल रणनीति का नतीजा हो सकती है लेकिन वास्तविकता में इसमें बहुत से कारकों का योगदान है, जिनमें नृजातीयता, धार्मिक उन्माद, वहाँ के शासक वर्ग की महत्त्वाकांक्षाएँ इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। चूँकि मध्य-पूर्व में विद्यमान तनावों की जड़ें इतिहास और राजनीति में निहित हैं, इसलिये इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर पाना फिलहाल तो नामुमकिन है। हाँ, वर्तमान समय में कट्टरपंथ/आतंकी ताकतों का जो उभार देखने को मिल रहा है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

पश्चिम एशिया में शांति की जिन आहटों को इस समय महसूस किया जा रहा है, उसके लिये किन्हीं परिणामी निष्कर्षों तक पहुँचने से पहले पश्चिम एशिया में निहित कारकों एवं महाशक्तियों द्वारा खेले गए 'ग्रेट-गेम्स' पर एक निगाह डालने की ज़रूरत होगी। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के लिये जो कारण उत्तरदायी हैं, उनमें पहला है उसकी वर्तमान संरचना जिसका निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध के अंत में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किया गया था। ब्रिटिशों और फ्राँसीसियों ने जिन राष्ट्रों का निर्माण किया वे ऐसे हताश समूह थे, जिन्हें एक राष्ट्र के रूप में शासित होने का कोई अनुभव नहीं था। यही नहीं, इन राष्ट्रों का निर्माण करने से पूर्व कोई व्यवस्थित विचार-विमर्श भी नहीं किया गया था, उदाहरणार्थ- ऑटोमन साम्राज्य के तीन प्रांतों को लेकर इराक को एक राष्ट्र का रूप दिया गया, जबकि तीनों प्रांतों में ऐसी कोई समानता नहीं थी कि वे एक राष्ट्र का रूप ले सकें। औपनिवेशिक शक्तियों ने प्राय: अल्पसंख्यक गुटों से शासक चुनने की धूर्ततापूर्ण नीति अपनाई ताकि अल्पसंख्यक सत्ता को शासन करने के लिये हमेशा ही बाहर से मदद की ज़रूरत बनी रहे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अल्पसंख्यक शासकों की नियुक्ति/स्थापना के ज़रिये यह सुनिश्चित कर दिया गया था कि इन कठपुतली शासकों के ज़रिये महाशक्तियाँ अपने उद्देश्यों की आपूर्ति करती रहेंगी। चूँकि ये शासक कमज़ोर होंगे, इसलिये वे हमेशा महाशक्तियों पर आश्रित रहेंगे।

सद्दाम के अवसान और बगदाद के ध्वंस के बाद इराक के प्रधानमंत्री बने नूरी अल-मलिकी पर वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार रफीक जकारिया की एक टिप्पणी से भावी स्थितियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, "ऐसे कट्टरपंथी शिया नेता, जो अपने धार्मिक विचारों पर ज़रा भी झुकने को तैयार नहीं हैं और सुन्नियों को तो वे सिर्फ सज़ा ही देना चाहते हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति कतई नहीं लगे जो राष्ट्रीय सुलह-सफाई चाहते हों।" लगभग दो दशकों तक सीरिया और ईरान में निर्वासित जीवन बिताने के कारण वे इन दोनों सत्ताओं के नज़दीक थे। खास बात यह है कि बुश प्रशासन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए मलिकी को लोकतंत्र और बहुलतावाद में भरोसा रखने वाला करार दिया। मलिकी शासनकाल में 20 लाख से ज़्यादा इराकी, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी और ईसाई धर्म के लोग थे, देश से पलायन करने को विवश हुए। इराक में अब भी सत्ता अपने पास होने का भ्रम पाले हुए सुन्नी अल्पसंख्यकों ने पलटकर संघर्ष शुरू कर दिया तथा वे और

अध्याय
11

भारत की पूर्व की ओर देखो नीति
(India's Look East Policy)

11.1 पूर्व की ओर देखो नीति की पृष्ठभूमि
11.2 पूर्व की ओर देखो नीति द्वारा घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति
11.3 भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का नया आयाम: एक्ट ईस्ट पॉलिसी
11.4 दक्षिण चीन सागर विवाद एवं भारत-आसियान संबंध
11.5 भारत की पूर्व की ओर देखो नीति पर भारत-चीन संबंधों का प्रभाव
11.6 निष्कर्ष

11.1 पूर्व की ओर देखो नीति की पृष्ठभूमि *(Background of Look East Policy)*

विश्व राजनीति में 1991 कई मायने में अलग था। शीतयुद्ध अभी समाप्त हुआ था। बर्लिन की दीवार के गिरने और सोवियत संघ के विघटन को विश्व में विचारधारा आधारित संघर्ष का अंत माना गया। विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा था। चीन तेज़ी के साथ विकास कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आए इन बदलावों के अनुसार देश अपने आपको ढालने लगे। इसी समय दक्षिण एशियाई देश भी संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे थे। वे बाहरी शक्तियों से जुड़ने के लिये सक्रिय एवं बाह्योन्मुखी नीति (Active and Outward Looking Policy) अपना रहे थे। इन परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करते हुए 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने बुलंद एवं स्पष्ट निर्णय लिया जिसे कूटनीति में 'पूर्व की ओर देखो' नीति कहा गया। यह भारतीय विदेश नीति के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है। यद्यपि पूर्व की ओर देखो नीति के अंतर्गत व्यापक रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र को शामिल किया जाता है लेकिन शुरुआती रूप से भारत ने इस नीति के अंतर्गत आसियान के सदस्य देशों को ही शामिल किया था। आसियान का गठन 1967 में किया गया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांँमार तथा कंबोडिया इसके सदस्य हैं। शीतयुद्ध के दौरान आसियान द्वारा भारत को खतरे के रूप में देखा जाता था क्योंकि भारत सोवियत संघ के साथ गहराई से जुड़ा था तथा एक क्षेत्रीय नौसैन्य शक्ति (Regional Naval Power) बनने के लिये अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था।

इस राजनीतिक परिदृश्य में पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र एक गतिशील आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत इस क्षेत्र से लाभ उठाने तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिये प्रतिबद्ध था। आंतरिक कारकों ने भी भारत को नीति संबंधी अलगाव खत्म करने को विवश किया था। 1990 के दशक में भारत स्वयं आर्थिक सुधार कार्यक्रम चला रहा था। इसका प्रमुख कारण भुगतान संतुलन संकट (Balance of Payment Crisis) था, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.8 बिलियन डॉलर का ऋण लेने पर विवश किया था। भारत की इस आर्थिक दुर्दशा का प्रमुख कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण में असफलता माना गया। भारत ने तुरंत व्यापक सुधार कार्यक्रम आरंभ किया। ठीक इसी समय दक्षिण-पूर्व एशिया के देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये नए भागीदारों की खोज कर रहे थे। उनका इरादा आसियान संरचना के अंतर्गत आर्थिक एकीकरण को ठोस रूप देना था। इसके अलावा दो अन्य कारण भी थे जिनके कारण भारत-आसियान के बीच संबंधों को बढ़ावा मिला। पहला, आर्थिक मजबूरियों के कारण भारत द्वारा नौसैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण में कटौती करना तथा दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में कंबोडिया में शांति स्थापना का प्रयास करना।

भारत-आसियान के बीच संबंध स्थापित होने से पहले मलेशिया एवं थाईलैंड ने भारत की नौसैन्य आधुनिकीकरण के प्रति चिंता ज़ाहिर की थी। स्वयं थाईलैंड का सैन्य आधुनिकीकरण कुछ हद तक भारत के डर पर आधारित था। लेकिन घटनाक्रमों ने स्थिति में बदलाव लाने का कार्य किया। 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा की। भारत के दृष्टिकोण से 'पूर्व की ओर देखो नीति' ने न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण का मौका उपलब्ध कराया बल्कि भारत की एक सैन्य शक्ति के रूप में पहचान एवं इससे संबंधित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में व्याप्त भय को भी कम किया।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596